जवाहर नवोदय विद्यालय
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA

(मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त संस्थान)
(An Autonomous organization under Ministry of HRD, Department of Education
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
Department of School Education & Literacy
भारत सरकार / Govt. of India)

मावली, जिला उदयपुर (राज.)
MAVLI, DISTT. UDAIPUR
(RAJ.) 313203
Ph. No. - 02955-280254 E-Mail-
udaipurjnvst2020@gmail.com
Web site
www.jnvudaipur.org
"GRAM:NAVSAM"

पत्रांक :–एफ /जनवि–मा/2019–20/jnvst2020/79 दिनांक – 24-06-2020

प्रिय अभिभावक,

विषयः– जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के अस्थाई चयन की सूचना।

महोदय,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपके संलग्न परिणाम के अनुसार इस विद्यालय में कक्षा छः(06) में प्रवेश हेतु अस्थाई रुप से चयन कर लिया गया है। प्रवेश संबंधी शर्ते पूर्ण होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में आप अभ्यर्थी का आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2020 से पूर्व विद्यालय के ईमेल पर भेजना सुनिश्चित करेगे । यदि आप अपने पाल्य को विद्यालय में प्रवेश नही दिलवाना चाहते है तो भी एक प्रार्थना पत्र अद्योहस्ताक्षरी के नाम पर असहमति का प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे ।

इस पत्र के साथ कुछ निंधारित प्रपत्र विद्यालय की वेबसाईड www.jnvudaipur.org से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। अभ्यर्थी ने जिस विद्यालय से अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण की है उसके प्रधानाध्यापक की सहायता से इस प्रपत्र को सही एवम सुस्पष्ट रुप में भरवाकर साथ लावें। प्रपत्र पर अभिभावक के हस्ताक्षर हो, तथा प्रधानाध्यापक के प्रति हस्ताक्षर हों, निम्नालिखित कागजात साथ लाने है:–

1. पूर्ण रुप से भरा निर्धारित संलग्न विद्यार्थी का विवरण पत्र।
2. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबोसी, का है तो तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति संबंधि प्रमाण पत्र की मौलिक एवम फोटोकापी।
3. कक्षा 3,4,5 के परीक्षा प्रमाण पत्र की मौलिक एवम फोटो प्रति।
4. कक्षा 5 उत्तीर्ण का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जोकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षारित हो। (मोलिक एवम फोटोप्रति) प्रवेश की अंतिम अनुमति मिलने पर जमा कराना होगा।
5. छात्र–छात्रा का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य होगा। यदि छात्र–छात्रा अधिक आयु का प्रतीत होता है अथवा अधोहस्ताक्षरित किसी भी कारण से आवश्यक समझते है तो छात्र–छात्रा को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस हेतु भेजा जा सकता है जिसका व्यय अभिभावक को वहन करना होगा। इस संबंध में जिला अधिकारी द्वारा गठित विशेष प्रवेश समिति का निर्णय मान्य होगा।
6. छात्र–छात्रा का पासर्पोट साइज़ फोटो की 5 प्रति साथ लावें।
7. कक्षा 3,4,5 पास का विद्यालय ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में स्थित है का प्रमाण पत्र जो कि संबंधित तहसीलदार अथवा शिक्षा अधिकारीं द्वारा निर्गत हो।
8. 02 फाइल साथ लावें।
9. आय प्रमाण पत्र साथ लावें।
10. पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र की फोटोकापी करवा कर साथ लावें।
11. आधार कार्ड की छाया प्रति

यदि निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी/अभिभावक द्वारा विद्यालय के ईमेल **udaipurjnvst2020@gmail.com** पर उक्त दस्तावेजो क़ो **(मूल Scan Copy)** विद्यालय ई मेल पर भेजना सुनिष्चित करेगे । प्रवेश सम्बिन्धित किसी भी प्रकार की समस्या आने पर श्री देवेन्द्र राव पीजीटी कॉमर्स एवं जनविचयन परीक्षा प्रभारी 9460945353 एवं श्री अनिल शर्मा 9414659786 से विद्यालय समय प्रातः 9.00 से 04.00 बजे के मध्य सम्पर्क किया जा सकता हैं । अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जावेगा ।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
मावली जिला उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner